



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232040
CG-DL-E-21122021-232040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4913]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 4913]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5304(अ).—केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रख कर पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, महाराष्ट्र में जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पत्तन को दिनांक 15.12.2021 से तीन वर्षों की अवधि के लिए समुद्र के रास्ते भारत में पेट्रोलियम का आयात करने हेतु अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी-24015/20/2021- पीडब्ल्यू]

अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2021

S.O. 5304(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies JSW Jaigarh Port in Maharashtra for importing petroleum into India by Sea for a period of three years from 15.12.2021.

[F. No. PD-24015/20/2021-PW]

ARVIND CHAUDHARY, Economic Adviser